(b) what are the details of the items which have been exported through Bofors and which of them are non-traditional; and

(c) whether Basmati rice has been exported from the firm Abdulla Haji Rahimotola and Sons through Bofors nominated intermediary Mercator to Kuwait Supply Co. and whether the existing Basmati rice export in this case is not an additionality but has only been diverted through Bofors; if so, the commission and service charges etc. as yet received or receivable by Mercator (Bofors' nominated intermediary) and also others in this case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) The purpose of Memorandum of Understanding on Counter-Trade signed between STC and Bofors is to generate additionality in exports.

(b) The list of items exported through the mechanism of countertrade is annexed as Statement which includes many non-traditional items such as chemicals, pharmaceuticals, bicycle spares, computer components. (*See* below).

(c) Basmati rice has been exported from M/s. Abdulla Haji Rahimotola through Bofors nominee, M/s. Mercator, to the Kuwait Supply Co. This contract was secured in the face of competition from Pakistan only because of countertrade arrangements and hence considered as an additional by STC.

Statement

List of items exported under the counter-trade MOU with Bofors till 31.1.1989.

1. Chemicals
2. Pharmaceuticals
3. Yarn/Drill
4. Terry Towels
5. Hand tools
6. Galvanised pipes
7. Mango Kernel Oil
8. Guargum Powder/splits
9. Psyllium husk
10. Niger seed
11. Pressure stoves
12. Bicycle spares
13. Sewing thread
14. Green Cardamom
15. Groundnut extraction
16. Coffee
17. Packet tea
18. *Jute goods*
19. Computer components
20. HighCarbon Ferromanganese
21. Cashew kernels
22. Dyed/Striped sheeting
23. Soyabean meal
24. Cotton sheeting
25. Frozen shrimps.
26. Crushed tomatoes
27. Tobacco
28. Mango pulp/Slices
29. Polypropylene bags
30. Black pepper
31. Finished leather
32. Spices
33. Rice

997. [Transferred to the 13th March, 1989]

स्वापक-रोधी ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दक्षिण दिल्ली में मारे गए छापे

998. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक-रोधी ब्यूरो द्वारा दक्षिण दिल्ली में मादक पदार्थों का धंधा करने वालों के परिसरों पर पिछले दो वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गए और इन छापों में नकद रूप में कितनी धनराशि पकड़ी गई और पकड़े गए स्वापकों का मूल्य कितना है ; और

(ख) मादक द्रव्यों का धंधा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : : (क) और (ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली ने पिछले दो वर्षों के दौरान दक्षिण दिल्ली में 9 अभिग्रहण किए हैं। जहां 1987 में लगभग 17 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी, वहां 1988 में तीन किलोग्राम से अधिक नशीले औषध द्रव्य पकड़े गए थे। स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु कुल मिलाकर 27 व्यक्तियों (5 नाइजीरियन, 3 अफगान और 2 अमरीकी राष्ट्रिकों सहित) को गिरफ्तार किया गया है।

पकड़े गए नशीले औषध द्रव्यों का सही-सही मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह नशीले औषध द्रव्य की शुद्धता, उद्गम और पूर्ति के स्थान, स्थानीय मांग आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान दक्षिण दिल्ली में नकद रूप में कोई धनराशि अभिग्रहीत नहीं की गई है।

अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

999. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने हिन्दी के पक्ष में अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के सत्याग्रहियों को पुलिस ने अनेक बार गिरफ्तार व रिहा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तारी किन कारणों से की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) हिन्दी संरक्षण संगठन के तीन सदस्यों को छः बार रोका गया और उसी दिन छोड़ दिया गया। इन लोगों ने दिनांक 13-1-1989 को शाहजहां रोड़ की पटरी पर लकड़ी का मंच बनाकर और एक तम्बू लगाकर सड़क प्रयोग करने वालों के लिए अवरोध पैदा किया था। उनको रोका गया और उसी दिन छोड़ दिया गया था। उसके बाद उन्होंने उपरोक्त स्थान पर आगे के पांच दिनों में धरना दिया और प्रत्येक दिन उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया, तथापि, प्रत्येक अवसर पर उनको उसी दिन छोड़ दिया गया।

दिल्ली में वाहनों में लगाए गए संगीतमय हार्न

1000. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मोटरगाड़ियों के संगीतमय हार्नों के प्रचलन के कारण दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तबला, हारमोनियम, ट्रम्पेट आदि वाद्ययन्त्रों के फ्रीक्वेन्सी डेड हार्नों का उपयोग करने वाले मोटरगाड़ी मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) दिल्ली में संगीतमय हार्न का प्रयोग करने पर चालकों का चालान किया जा रहा है। वर्ष 1987 और 1988 में क्रमशः 43,959 और 24,503 अपराधियों का चालान किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता